

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
**पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :- 86/2025  
दायर दिनांक :- 24.04.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/177  
निर्णय दिनांक :- 20.05.2026

1. मठार खां पुत्र दावद खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी  
-अप्रार्थी/वादीगण

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)  
-प्रार्थी/प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी**

- उपरिथत :-** 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधिवक्ता वादी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी/प्रतिवादी

**--:: निर्णय ::--**

प्रार्थी/प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगणों को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से बहस करवाया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा सरकारी भूमि पर लम्बे समय से खातेदारी अधिकार घोषित किये जाने की मांग की गई है जबकि समय-समय पर माननीय हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से वादी को Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं तथा गिरदावरी रिपोर्ट से किसी भी खातेदार को खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य कोई आधार मौजूद नहीं होने से उपरोक्त अनवान का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं है तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार

*Satya*  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)



- iii. आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018— इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।
- iv. बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990— प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरुद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू-धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तों के अध्याधीन है। यदि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

2. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपटित नियम 18 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्त 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादी ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, घोषणा को वादकारण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं है।

प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**11. Rejection of plaint.-** The plaint shall be rejected in the following cases:—

- (a) where it does not disclose a cause of action;
- (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;
- (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
- (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
- (e) where it is not filed in duplicate;
- (f) where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9.

**Provided that** the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

*S. K. S.*  
सहायक कलेक्टर  
बाण (फलोदी)

1. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:-

**While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.**

2. सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारिज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:-
1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
  2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविकता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरुस्त नहीं करना।
  3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरुस्त नहीं करना।
  4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद-पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
  5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
  6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Satya*  
(सत्य नारायण-1, आर.ए.ए.ए.)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)